

पक्के 12 अवैध कब्जे हटाये गये

भिलाईनगर/निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के निर्देश पर आज जोन 04 शिवाजी नगर वार्ड 38 के अंतर्गत जोन आयुक्त, राजस्व अमला, डम्पर, जेसीबी, तोड़फोड़, विद्युत कर्मचारियों के साथ पावर हाउस, बस स्टैंड पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट में भेजा कब्जाधारियों को हटाये जाने की मुहिम की शुरुआत की गई। कब्जा हटाये जाने के पूर्व चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था आज कुल 12 भेजा कब्जाधारियों जो पक्के निर्मित एवं एसी सीट वाले कब्जा को हटाया गया। आशीष इंटरनेशनल होटल एवं पेट्रोल पम्प के बीच पक्का निर्मित 03 कब्जा हटाये गये।

जोन 04 अनुविभाग शिवाजी नगर कार्यालय के अंतर्गत वार्ड 38 में दोपहर 2 बजे से पुलिस अमला के साथ पक्के निर्माण कर कब्जाधारियों को हटाये जाने की मुहिम की शुरुवात की गई। पावर हाउस, बस स्टैंड पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट में अवैध कब्जाधारियों को चिन्हित कर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नोटिस जारी किया गया था तथा जोन के अधिकारियों के द्वारा उन्हें अवैध कब्जा खाली करने की समझाईस पूर्व में दी गई थी उक्त अवैध कब्जा धारियों के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था तथा चार पहिया वाहन वालों को भी उस रास्ते से निकलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था आज ऐसे कब्जाधारी जो पक्के निर्माण कर कब्जा कर रखे थे उन सभी का अतिक्रमण बेदखल किया गया तथा जोन आयुक्त के द्वारा अवैध कब्जाधारियों को सक्त निर्देश दिये गये की पुनः उस स्थान पर कब्जा न करें अन्यथा उनपर निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी। जोन 4 क्षेत्रान्तर्गत बांस बल्ली से घेरकर व्यवसाय करने वाले लोग स्वयं ही अपना अवैध कब्जा हटा चुके थे इस तोड़फोड़ की कार्यवाही का नागरिकों ने स्वागत किया है।

आज 01 दिसम्बर को तोड़फोड़ की कार्यवाही में जोन 04 के आयुक्त श्री संजय शर्मा, सहायक यंत्री श्री अखिलेश चन्द्राकर, उपअभियंता बसंत साहू, तोड़फोड़ प्रभारी अधिकारी यतीन्द्र नाथ देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी हरिचरण सिंह अरोरा, छावनी पुलिस की टीम, रामायण सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी

